पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून–व्यवस्था, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की

उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : मुख्यमंत्री

अराजक व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए

अधिकारियों को पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ दायित्वों के निर्वहन के निर्देश

आगामी पर्व एवं त्योहारों पर प्रदेश में सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

मुख्य बाजारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24X7 पुलिस निगरानी, सघन पैदल गश्त और सी0सी0टी0वी0 कैमरों की सक्रियता अनिवार्य रूप से रहे

पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले व सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित हों

परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश, बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई की जाए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घटतौली की शिकायतें मिलने पर नजीर युक्त कार्रवाई की जाए

प्रदेश में खाद का कृत्रिम संकट पैदा करने, जमाखोरी करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद की बिक्री करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए

आउटसोर्स कार्मिकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय त्योहार से पूर्व अनिवार्य रूप से उनके खातों में अंतरित किया जाए

लखनऊ : 03 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आगामी पर्व–त्योहार उल्लास, उमंग, आस्था और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। इन अवसरों पर प्रदेश में सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना पर्वों के उल्लास में बाधा न उत्पन्न कर सके।

मुख्यमंत्री जी आज यहाँ अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून–व्यवस्था, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों और अन्य महत्वपूर्ण

विषयों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।

दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के दृष्टिगत आपातकालीन सेवाओं व कानून–व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर 24 घण्टे पैनी नजर रखते हुए अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने अथवा शरारतपूर्ण बयानबाजी से माहौल बिगाड़ने वालों पर त्वरित व प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अयोध्या में 07 नवंबर को होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्तरजनपदीय और स्थानीय स्तर पर सुगम यातायात प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाए तथा रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर जनसामान्य के मध्य व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख मन्दिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर चौबीसों घण्टे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धनतेरस और दीपावली के दृष्टिगत मुख्य बाजारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24X7 पुलिस निगरानी, सघन पैदल गश्त और सी0सी0टी0वी0 कैमरों की सक्रियता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लें और पी0आर0वी0–112 निरन्तर सक्रिय रहे। प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रमों में नियमानुसार समयबद्ध अनुमति दी जाए। ऐसे आयोजनों की आड़ में दुर्भावनापूर्ण ढंग से विवाद खड़ा करने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले व सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएं। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) और लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। अग्निशमन विभाग को पर्याप्त फायर टेण्डरों और आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घण्टे हाई अलर्ट मोड पर रखा जाए।

मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग को मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी क्षेत्रों में नियमित सैनिटाइजेशन और एण्टी–लार्वा फॉगिंग कराई जाए तथा कहीं भी जलभराव, कूड़े के ढेर अथवा सड़कों पर गड्ढों की स्थिति न रहे। पर्वों के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोस्टरमुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा शुद्ध पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अनफिट और डग्गामार वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने जनहित, किसान कल्याण और कर्मचारी हितों की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। घटतौली की शिकायतें मिलने पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए, जो दूसरों के लिए नजीर बने। सेवानिवृत्त पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके अलावा, आउटसोर्स कार्मिकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय त्योहार से पूर्व अनिवार्य रूप से उनके खातों में अंतरित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हितों की रक्षा पर बल देते हुए जिलाधिकारियों को यूरिया व डी0ए0पी0 खाद की पर्याप्त उपलब्धता पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद का कृत्रिम संकट पैदा करने, जमाखोरी करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी उपज की तौल पूरी पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान अपनी उपज बेचे बिना केन्द्र से निराश होकर न लौटे।

————————

PN-CM-VC-Law & Order-03 November, 2026